मुख्यमंत्री भजनलाल ने केन्द्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान को मटीरियल कंपोनेंट के तहत 825 करोड़ रूपए की राशि जारी की थी

नई दिल्ली/जयपुर, 29 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार देर रात को नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस अवसर पर शर्मा ने राजस्थान के लिए मटेरियल कंपोनेंट के अंतर्गत 825 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी किए जाने पर

- **शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को इस मद में अग्रिम राशि जारी करने का भी आश्वासन दिया है।**

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया। चौहान ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में अग्रिम किश्त का शीघ्र भुगतान करने के लिए आश्वासन भी दिया। इस दौरान, प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों और कृषक कल्याण को समर्पित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा की।

समीर वानखेडे का मुकदमा खारिज

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कथित रूप से चित्रित किए जाने के संबंध में दायर

- **भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े ने नैटफिलक्स सीरीज़ ''द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसे कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का अभाव बताकर खारिज कर दिया।**

मानहानि के मुकदमे को क्षेत्राधिकार के अभाव का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय इस मामले का निर्णय करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है और वानखेड़े को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी।

पुनः आयोजित जेई भर्ती 2021 का पेपर भी लीक हुआ था

जाँच में सामने आया कि निरस्त परीक्षा के सफल अभ्यर्थी पुनः आयोजित परीक्षा में भी संदिग्ध रूप से सफल हुए

जयपुर, 29 जनवरी। कनिष्ठ अभियंता (जेई) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक होने के बाद निरस्त की गई परीक्षा के पुनः आयोजन में भी गंभीर अनियमितता सामने आई हैं। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में यह खुलासा हुआ है कि 12 सितंबर 2021 को पुनः आयोजित कनिष्ठ अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा-2021 का पेपर भी लीक कर दिया गया था।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि दिसंबर 2020 में आयोजित कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा-2020 को पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया गया था, जिस संबंध में सांगानेर थाने में केस दर्ज किया गया था। उसी केस की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि निरस्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थी पुनः आयोजित परीक्षा में भी

- **एसओजी की जाँच में उजागर हुआ कि पुनः आयोजित परीक्षा में भी संगठित पेपर माफिया सक्रिय था तथा उसने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया था।**

संदिग्ध रूप से सफल हुए।

जांच में यह उजागर हुआ कि पुनः आयोजित परीक्षा में भी पेपर माफिया सक्रिय था और पेपर लीक हुआ था। इस संबंध में 19 जनवरी 2026 को थाना एसओजी में नया केस दर्ज किया गया।

एसओजी ने इस मामले में जगदीश विश्नोई निवासी सांचौर जिला जालौर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लीक किया। जांच में यह भी सामने आया कि गणपतलाल बिश्नोई निवासी सांचौर जिला जालौर, जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, को भी अवैध तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण कराई गई। वह इस भर्ती में मेरिट क्रमांक 12 पर चयनित हुआ तथा बाद में उसे पदोन्नत भी किया गया।

एसओजी ने बताया कि इससे पहले सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक होने के तथ्य भी सामने आ चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है। एसओजी द्वारा पूरे नैटवर्क की पहचान, अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी तथा अवैध रूप से अर्जित लाभ को निरस्त कराने की कार्रवाई जारी है।

'अमेरिका और नाटो के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ'

डेनमार्क की प्र.मंत्री मेटे फ्रैडरिकसेन ने फ्रांस के टीवी चैनल से वार्ता के दौरान दावा किया

पेरिस, 29 जनवरी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड मुद्दे पर कोई समझौता हुआ है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में दावा किया था कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर नाटो के साथ एक समझौता किया है। जब फ्रांस-2 टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में फ्रेडरिकसेन से इस संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ''यह कोई

- **फ्रैडरिकसेन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रैडरिक नील्सन के साथ फ्रांस की यात्रा पर आयी हैं।**

समझौता नहीं है।'' फ्रेडरिकसेन ने साक्षात्कार में कहा कि असल में एक राज्य संप्रभु होता है। उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और दूसरे लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। फ्रेडरिकसेन ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड में सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सब कुछ रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि ''यह उन सभी चीज़ों के खिलाफ होगा जो हम दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से बना रहे हैं।'' फ्रेडरिकसेन बुधवार को ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन के साथ फ्रांस पहुंचीं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव पूरे यूरोप के लिये एक रणनीतिक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ फ्रांस की एकजुटता की बात दोहराई।

बब्बर खालसा के दो आतंकवादी गिरफ्तार

चंडीगढ़ 29 जनवरी। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस के साथ एक बड़ी कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन धमाके के सिलसिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के ऑपरेटिव हरविंदर रिंडा और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित एक नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि मॉडयूल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक आईईडी बरामद किया गया है। यह ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरू और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू, दोनों निवासी राहों, के तौर पर हुई है।

एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चुनाव आयोग के पास संविधान के तहत एसआईआर आयोजित करने का अधिकार है

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उन याचिकाओं के समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें चुनाव आयोग (ईसीआई) के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वैधता को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत यह अधिकार है कि वह एसआईआर को वर्तमान स्वरूप में संचालित कर सके।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ

- **इस मामले में नवम्बर 2025 से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।**

ने नवंबर 2025 से चल रही व्यापक सुनवाई के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अधिकांश याचिकायें पिछले वर्ष जून में तब दायर की गयी थीं, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय किया था। गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक नेताओं और व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं सहित 13 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का रुख किया है। इनमें मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा (तृणमूल कांग्रेस सांसद), मनोज झा (आरजेडी सांसद), के.सी. वेणुगोपाल (कांग्रेस सांसद) और सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी) आदि शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एसआईआर एक अप्रत्यक्ष ''एनआरसी जैसी प्रक्रिया'' है, जो प्रभावी रूप से चुनाव आयोग को नागरिकता सत्यापन के लिए एक वास्तविक प्राधिकरण में बदल देती है। उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता पात्रता संबंधी शंकाओं का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिसमें मतदाता सूची से अयोग्य घोषित किए जाने के विशिष्ट आधार बताए गये हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, डॉ. ए.एम. सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन, शादान फरासत, पी.सी. सेन और राजू रामचंद्रन, साथ ही अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, निज़ाम पाशा और शाहरुख आलम विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुये। याचिकाओं का विरोध करते हुये, चुनाव आयोग ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया को केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए ही देखा जाना चाहिये, न कि निर्वासन या अन्य परिणामों के लिए नागरिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में। आयोग ने एसआईआर को एक ''उदार, सौम्य'' प्रक्रिया बताया, जिसमें किसी भी प्रकार की कठोर या दबावपूर्ण जांच शामिल नहीं है।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वास्तव में एक स्वतंत्र व्यक्ति राज्यसभा सांसद बने, जो किसी भी गुट, समूह या नेता से जुड़ा न हो।

क्या उनका इशारा पवन खेड़ा की ओर था, जो राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं और अशोक गहलोत के क़रीबी माने जाते हैं, हालाँकि स्वयं गहलोत भी राज्यसभा नामांकन के लिए प्रयासरत हैं?

आख़िरकार, राज्यसभा के लिए चयन का फ़ैसला पार्टी नेतृत्व के हाथ में है और यह उसका विशेषाधिकार है।

पार्टी जल्द ही नगर निकाय और स्थानीय निकाय चुनावों का सामना करने जा रही है और राज्य नेतृत्व का कहना है कि वे इन चुनावों में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

इकोनॉमिक सर्वे ने भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियंत्रण रखना चाहिए।

अर्थशास्त्र की भाषा में इसका मतलब है कि बेहतर भविष्य और आगे चलकर अधिक उपभोग के लिए आज की खपत को कम कर बचत बढ़ाई जाए।

अगर इस तरह के सुझाव को अमल में लाया जाता है, और जब मुख्य आर्थिक सलाहकार खुद ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा क्यों न हो, लेकिन इसका नतीजा विकास नहीं, बल्कि मौजूदा समय में मंदी होगा।

खुद सीईए ने दिखाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती घरेलू खपत के सहारे आगे बढ़ रही है, जो मांग और आर्थिक गतिविधियों को गति दे रही है। उस पर ब्रेक लगाना विनाश और मंदी को बुलावा देना होगा।

अगर कुछ करना ही है तो घरेलू खपत को बनाए रखा जाना चाहिए, ताकि निर्यात में होने वाली किसी भी कमी की भरपाई की जा सके। बेशक, सीईए के तर्क के पीछे की सोच साफ है। विकास के लिए निवेश चाहिए और निवेश बचत से ही आ सकता है।

लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में घरेलू बचत की कमी को विदेशी बचत से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी, ज्यादा फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट, घरेलू कैपिटल, मार्केट में ज्यादा फंड का फ्लो, विदेशी इन्वैस्टर्स के लिए सरकारी ट्रैज़री मार्केट खोलना, ये सब घरेलू बचत की कमी को पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और कम महंगाई दर को देखते हुए सरकार के पास विस्तारवादी नीतियां अपनाने की गुंजाइश है। यह बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के जरिए होना चाहिए।

इस तरह के कदम से न केवल कुल डिमांड बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर ज्यादा रोजगार पैदा होने से ग्रोथ और इन्कम जैनरेशन का मल्टीप्लायर इफैक्ट भी शुरु हो सकता है।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि ऊंची जातियों में नाराज़गी बढ़ी, और वह सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में सामने आई है।

इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी।

अजित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उल्लेखनीय है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय बारामती में मौसम साफ था और दृश्यता 3,000 मीटर थी। हवा शांत थी।

बारामती एयरफील्ड पर उतरते समय पहले दो बार पायलट ने रनवे नजर नहीं आने की बात कही थी जिसके कारण विमान उतर नहीं पाया। तीसरी बार में पायलट ने कहा कि उसे रनवे दिख रहा है और विमान को सुबह 8.43 पर उतरने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसके बाद 8.44 बजे एटीसी ने रनवे 11 के एक छोर पर आग की लपटें देखीं।

कमांड पायलट के पास 1,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। को-पायलट के पास भी लगभग 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव था।

बांग्लादेश के 99 विस्थापित हिंदू परिवारों का यूपी में पुनर्वास होगा

लखनऊ, 29 जनवरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि ये परिवार फिलहाल मेरठ जिले के मवाना क्षेत्र के नंगला गोसाई गांव में रह रहे थे और यह पुनर्वास राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा है।

- **उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगाई**
- **इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद व ताजपुर तरसौली गाँव में बसाया जाएगा।**

खन्ना ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत 50 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद तहसील के भैंसाया गांव में 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) भूमि पर बसाया जाएगा, जबकि शेष 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह भूमि पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज है।

प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर दी जाएगी, जिसे दो बार 30-30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिकतम 90 वर्षों तक लीज की व्यवस्था होगी, जो निर्धारित प्रीमियम अथवा लीज रेंट के भुगतान पर प्रदान की जाएगी।

शशि थरूर, राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनने, को पूरा करने के लिए किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है।

उदाहरण देते हुए शशि थरूर ने राहुल गांधी को बताया कि जब उन्होंने केरल में एक बैठक को संबोधित किया, तो उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया, जबकि वे मंच (डायस) पर मौजूद थे। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्हें एक पर्ची दी गई थी, जिसमें कुछ नाम लिखे थे, और उन्होंने वही नाम पढ़ दिए। नेताओं का कहना है कि यह वेणुगोपाल की शरारत थी।

सूत्रों के मुताबिक, शशि थरूर ने राहुल गांधी से केवल दो बातें कहीं। पहली, राहुल को उन पर भरोसा होना चाहिए; और दूसरी, उन्हें संसद में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोनों ही मांगों पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा किया जाएगा।

इसके साथ ही, राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को निर्देश दिया कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सूचित करें कि शशि थरूर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाए।

इतना ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केरल में कांग्रेस की अभियान समिति और प्रचार समिति की ज़िम्मेदारी भी शशि थरूर को सौंप दी गई है।

राहुल गांधी ने थरूर की शिकायतों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त

- **राहुल गांधी ने तुरंत प्रभाव से थरूर को आगामी चुनाव के लिए गठित अभियान समिति व प्रचार समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया।**
- **थरूर ने एक आग्रह यह भी किया कि उन्हें संसद में बोलने का मौका दिया जाए।**

किया कि उनका समाधान किया जाएगा।

इस बैठक को शशि थरुर की एक तरह की जीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि यह समझ आगामी विधानसभा चुनावों तक बनी रहेगी।

नालों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलग उच्च न्यायालयों के इस मामले पर अलग-अलग विचार थे कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में 10 लाख रुपये दिए, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरे मामले में 30 लाख रुपये दिए।

नफरती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलती और इसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने इस मामले में पहले ही याचिका दायर कर दी है। याद दिलाना जरूरी है कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को दिसंबर 1999 से दिसंबर 2005 तक छह वर्षों के लिए मतदान करने और चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह बैन चुनाव आयोग की सिफारिश पर लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगकर गलत काम किया था। हालांकि, वह समय अलग था, जब संस्थानों को सत्तारूढ़ व्यवस्था से इतना जुड़ा हुआ नहीं माना जाता था। हाल के महीनों और वर्षों में इस तरह की आपत्तिजनक बातें सामान्य होती दिखाई दे रही हैं।

नीरजा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीबीएसई की ओर से कहा गया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन उनकी निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग होती तो शायद घटना नहीं होती। स्कूल में एंटी बुलिंग सहित, कई अन्य कमेटियां केवल कागजों में ही काम कर रही थी। मृतका लंबे समय से बुलिंग की शिकार हो रही थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एन सी पी के भविष्य पर सवालिया निशाल लगा दिया है अजित पवार की अचानक मौत ने

पर, इसे एन सी पी का अंत मान लेना अभी जल्दबाज़ी होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की श्रद्धांजलि लिखना अभी जल्दबाज़ी होगी, लेकिन विमान दुर्घटना में अजित पवार की अचानक हुई मृत्यु निस्संदेह पार्टी के दोनों गुटों के साथ-साथ, उस परिवार के लिए भी लगभग घातक झटका है, जिसने पिछले चार दशकों से पश्चिमी महाराष्ट्र की शुगर बैल्ट और उसकी समृद्ध सहकारी संस्थाओं की राजनीति पर नियंत्रण रखा है।

इससे बदतर समय नहीं हो सकता था। अजित पवार का निधन ऐसे समय में हुआ है। वर्ष 2023 में हुए विभाजन के बाद, एनसीपी गंभीर दौर से गुजर रही है। उक्त विभाजन ने पार्टी को ही नहीं बल्कि, महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक को भी विभाजित कर दिया था, जहाँ भतीजा, चाचा के आमने-सामने आ गया और पार्टी के पितामह शरद पवार की सावधानी से बनाई गई उत्तराधिकार योजना उलट गई थी।

यदि अजित पवार जैसी बड़ी क्षति

- **अजित की मौत ऐसे समय में हुई है, जब 2023 में विभाजित हुई पार्टी बड़े नाज़ुक दौर से गुज़र रही थी।**
- **अगर राजनीति के धुरंधर शरद पवार अपनी पार्टी को इस भारी क्षति से उबारने के लिए कोई चमत्कारिक समाधान नहीं कर पाए तो एन सी पी के खाली स्थान पर भाजपा कब्जा कर लेगी।**
- **अभी सबसे बड़ा मुद्दा अजित पवार गुट के 41 विधायकों का है, यह भी चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व उन सभी को अपनी पार्टी में शामिल कर सकता है।**

के बाद, शरद पवार अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए आख़िरी बार भी कोई चमत्कार नहीं कर पाते, तो भाजपा की मशीनरी निश्चित रूप से एनसीपी द्वारा खाली किए गए स्थान पर कब्ज़ा करने आगे बढ़ेगी।

पहली बात, दोनों गुट (एक अजित पवार के नेतृत्व में और दूसरा शरद पवार के नेतृत्व में) हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे अपने गढ़ों में लगभग सफ़ाए के सदमे से अब तक उबर नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दोनों पर कब्ज़ा कर लिया और उसकी जबरदस्त जीत दोनों एनसीपी गुटों के लिए, और संभवतः पवार परिवार के लिए भी, अस्तित्व का संकट खड़ा करता है।

दूसरी बात, दोनों गुटों के पुनर्मिलन की योजनाएँ अब अधर में लटक गई हैं। सीट-बँटवारे को लेकर भाजपा से मतभेदों के बाद, नगर निगम चुनावों से पहले विलय के लिए अजित पवार ही अपने चाचा के पास गये थे। दोनों ने चरणबद्ध तरीके पर सहमति जताई थी। पहला कदम नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन बनाना था। अगला कदम आगामी ज़िला परिषद चुनाव एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़ना था। चाचा-भतीजे इस पर सहमत थे कि वे ''घड़ी'' का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, जिसे चुनाव आयोग ने शरद पवार से लेकर अजित पवार की पार्टी को दे दिया था।

इसके बाद, पुनर्मिलन महज़ औपचारिकता रह जाना था, जिसे स्थानीय चुनाव पूरे होने के बाद किया जाना था। अब यह कहना मुश्किल है कि यह प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं।

बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में अजित पवार के 41 विधायक किस दिशा में जाते हैं। अजित के प्रभावशाली नेतृत्व के बिना वे लगभग अनाथ और दिशाहीन हो गए हैं। वर्ष 2022 से महाराष्ट्र की पार्टियों में जिस तरह टूट-फूट हुई है, उसे देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि वे या तो अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाएँ या फिर भाजपा उन्हें अपने में समाहित कर ले।

अजित पवार के अप्रत्याशित निधन से भाजपा के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियाँ भी। उनकी एनसीपी, एकनाथ शिंदे की सेना के मुक़ाबले संतुलनकारी शक्ति के रूप में उपयोगी साबित हुई थी। वस्तुतः, अजित पवार के बिना शर्त समर्थन के चलते ही, शिंदे की नाराज़गी और दबाव की राजनीति के बावजूद, देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हुआ था। इसके बाद जब-जब शिंदे ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, अजित पवार उन्हें लाइन पर लाने के काम आए। एक अर्थ में, फडणवीस और भाजपा ने एक क़ीमती सहयोगी खो दिया है।

फिर भी, अजित पवार की मृत्यु को महाराष्ट्र में भाजपा के दीर्घकालिक लक्ष्य, एकमात्र प्रभुत्वशाली शक्ति बनने और अगले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने, को हासिल करने के लिहाज से अनुकूल भी माना जा सकता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908